UPMZ010001102020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Garima Singh–I), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224

सत्र परीक्षण सं0–37/2020

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. फरमान पुत्र मुल्ला उर्फ अफजाल, निवासी मौहल्ला बगियावाला पीपलसाना, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

2. विजय पुत्र कश्मीरा नाथ सपेरा, निवासी हरिपुरकलां, थाना रायवाला, जिला देहरादून। ***(दौरान वाद मृत्यु)***

3. जोनी पुत्र जरीन निवासी अस्थाई तम्बु खाना बदौस झोपड़ी, कस्बा व थाना कैराना, जिला शामली।

....................अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–466/2010

अंतर्गत धारा–396, 412, 201, 420, 120 बी भा0 द 0 सं0

थाना– फुगाना, जिला. मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010036622013

सत्र परीक्षण सं0–50/2013

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. बाल्लो पुत्र मेहन्दा निवासी फतेहपुर मुसलमानो वाला, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर। ....अभियुक्त।

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.07 10:06:19 IST
Reason: judgment
Location: District and Sessions Court-6
Muzaffarnagar

मु०अ०सं०–466/2010

अंतर्गत धारा–396, 412, 201, 120 बी भा0 द 0 सं0

थाना– फुगाना, जिला. मुजफ्फरनगर।

अधिवक्ता अभियोजन
श्री नीरजकान्त मलिक, विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी।

अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से– श्री चरण सिंह चौहान एडवोकेट

निर्णय

1. उक्त दोनो पत्रावलियां एक ही घटना व मुकदमा अपराध से सम्बन्धित होने के कारण उक्त पत्रावलियों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एकसाथ ही किया जा रहा है।

2. अभियुक्तगण जोनी, फरमान, विजय, महरूम व बाल्लो के विरूद्ध पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–466/2010, अन्तर्गत धारा 396, 412, 201, 420, 120 बी भा0 द 0 सं0 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उनका मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया जिस पर वर्तमान वाद पंजीकृत हुए, तथा अभियुक्त विजय की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 22.05.2026 को उपशमित की गयी, तथा अभियुक्त महरूम के न्यायालय उपस्थित न होने के कारण उसकी पत्रावली वर्तमान पत्रावली से दिनांक 02.06.2026 को पृथक की गई।उक्त वाद से सम्बन्धित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1040/2011 में अभियुक्तगण बन्टी उर्फ एम 0 पी0 व संजय उर्फ संजू का निस्तारण दिनांक 20.04.2017 को किया जा चुका है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी कंवरपाल ने इस आशय की तहरीर थाना फुगाना पर दी कि मेरा भतीजा राजीव दिनांक 07.11.2010 को अपनी बहन के यहां ग्राम बामनोली, थाना दोघट, जिला बागपत कोथली लेकर गया था। कल शाम करीब आठ बजे वह कोथली देकर अपनी मोटरसाईकिल हीरोहोन्डा पैशन प्रो, जो अभी खरीदी है, से वापस गांव के लिये चला था। समय करीब 8.45 बजे राजीव के बहनोई श्री सुधीर ने राजीव को फोन करके पूछा कहां हो तो राजीव ने बताया था कि फुगाना पहुंच गया हूं। उसके

बाद उसका फोन बन्द हो गया। जब राजीव घर नहीं पहुंचा तो हम लोगो ने तलाश शुरू की तथा गांव वालो व रिश्तेदारो की मदद से सड़क के किनारे–किनारे गन्ने के खेतों में तलाश करते हुए जंगल ग्राम लॉक में इन्द्र के गन्ने के खेत में राजीव की लाश मिली। मेरे भतीजे की मोटरसाईकिल मौके से नहीं मिली। मेरे भतीजे राजीव के चेहरे व सिर व पैर में जगह–जगह धारदार हथियार से चोटे लगी है, तथा उसकी सोने की चैन, मोबाइल फोन आदि सामान भी उसके पास नहीं है।

4. उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0 466/2010 अन्तर्गत धारा 302, 201, 404 भा0 द 0 सं0 पंजीकृत हुआ। विवेचक ने गवाहों के बयान लिये और घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया व अन्य पुलिस अभिलेखों को प्राप्त किया तथा उसका उल्लेख केस डायरी में किया और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध संख्या अभियुक्तगण जोनी, फरमान, विजय व बाल्लो के विरूद्ध, अन्तर्गत धारा 396, 412, 201, 420, 120 बी भा0 द 0 सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया।

5. अभियुक्तगण जोनी, फरमान, विजय के विरूद्ध मु०अ०सं०– 466/2010, अन्तर्गत धारा 396, 412, 201, 420, 120 बी भा0 द 0 सं0 व अभियुक्त बाल्लो के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 396, 201, 120 बी, 412 भा0 द 0 सं0 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की फलत: अभियोजन को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध तय आरोप को न्यायालय में दौरान विचारण साबित करने हेतु निम्न अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम संख्या	**गवाह का नाम**	**विवरण**
पी0 डब्लू– 1	कुंवरपाल	शिकायतकर्ता
पी0 डब्लू–2	रवि कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0 डब्लू–3	उपनिरीक्षक विनोद राठी	एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक
पी0 डब्लू–4	उपनिरीक्षक मोहनपाल सिंह	फर्द बरामदगी का गवाह
पी0 डब्लू–5	उपनिरीक्षक सतपाल सिंह	पंचायतनामा साक्षी

क्रम संख्या	**गवाह का नाम**	**विवरण**
पी0 डब्लू–6	निरीक्षक के0 पी0 शर्मा	विवेचक
पी0 डब्लू–7	निरीक्षक मेहर सिंह	विवेचक
पी0 डब्लू–8	निरीक्षक उदयपाल सिंह	विवेचक
पी0 डब्लू–9	पप्पू	चक्षुदर्शी साक्षी

अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है–

क्रम संख्या	**साबित किये गये प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**शिनाख्तकर्ता**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0 डब्लू–1
2	फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल पुर्जे	प्रदर्श क–2	पी0 डब्लू–4
3	पंचायतनामा	प्रदर्श क–3	पी0 डब्लू–5
4	फोटो नाश	प्रदर्श क–4	पी0 डब्लू–5
5	चिट्ठी सी0 एम 0 ओ 0	प्रदर्श क–5	पी0 डब्लू–5
6	चिट्ठी आर 0 आई	प्रदर्श क–6	पी0 डब्लू–5
7	चालान नाश	प्रदर्श क–7	पी0 डब्लू–5
8	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–8	पी0 डब्लू–6
9	फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल पुर्जे	प्रदर्श क–9	पी0 डब्लू–6
10	फर्द बरामदगी मोटरासईकिल	प्रदर्श क–10	पी0 डब्लू–6
11	फर्द बरामदगी आला कत्ल	प्रदर्श क–11	पी0 डब्लू–6
12	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–12	पी0 डब्लू–6
13	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल	प्रदर्श क–13	पी0 डब्लू–6
14	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल मोटरसाइकिल	प्रदर्श क–14	पी0 डब्लू–6
15	नक्शा नजरी आला कत्ल	प्रदर्श क–15	पी0 डब्लू–6
16	आरोपपत्र अभियुक्त बन्टी	प्रदर्श क–16	पी0 डब्लू–6

क्रम संख्या	साबित किये गये प्रपत्र	प्रदर्श	शिनाख्तकर्ता
17	आरोपपत्र अभियुक्त विजय	प्रदर्श क–17	पी0 डब्लू–6
18	आरोपपत्र अभियुक्त जोनी	प्रदर्श क–18	पी0 डब्लू–7
19	आरोपपत्र अभियुक्त बाल्लो	प्रदर्श क–19	पी0 डब्लू–8

अन्य कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण के बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किए गए। अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य न देने का कथन किया। बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

9. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 07/08.11.2010 को समय लगभग 8.45 बजे रात्रि में अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक राजीव कुमार के साथ डकैती डालने का आपराधिक षडयन्त्र किया व स्थान जंगल लाख, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर में डकैती डालते हुए वादी मुकदमा कुंवरपाल के भतीजे राजीव कुमार की मोटरसाईकिल उसकी सोने की चैन, मोबाइल फोन आदि लूट लिया तथा उसकी हत्या कर दी, तथा अपराध के साक्ष्य को विलोपन करने के उद्देश्य से उसकी लाश को गन्ने के खेत में डाल दिया। दिनांक 24.11.2010 को समय 10.00 बजे प्रातः रेलवे स्टेशन, पीपलसाना से अभियुक्तगण की निशानदेही पर डकैती में लूटी हुई मोटरसाईकिल के हिस्से, पुर्जे, सामान, पार्टस बरामद हुए, जिसके चैसिस पर अंकित नम्बर को खुरचकर मिटाया गया था ताकि वाहन की पहचान न हो सके। अभियोजन ने तथ्य के साक्षीगण एवं औपचारिक साक्षीगण की साक्ष्य पूर्ण कराई है। फलस्वरूप पत्रावली पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धी का पर्याप्त आधार है ।

10. अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी है, साक्षियो के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियुक्तगण को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

11. उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को के आलोक में अब यह देखा जाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है, अथवा नहीं।

<u>निर्णय</u>

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप है कि सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे की मोटरसाईकिल, सोने की चैन, मोबाइल फोन आदि लूटकर उसकी हत्या कर दी, तथा साक्ष्य को विलोपित करने के उद्देश्य से उसकी लाश को गन्ने के खेत में डाल दिया। अभियुक्तगण के द्वारा यह कृत्य आपराधिक षडयन्त्र के तहत किया गया। अभियुक्तगण की निशानहेदी पर डकैती में लूटी हुई मोटरसाईकिल के हिस्से/पुर्जे बरामद हुए, तथा अभिुक्तगण के द्वारा डकैती में लूटी हुई मोटरसाइकिल के चैसिस नम्बर को मिटाकर कूट रचना भी की गयी। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण पर लगे उक्त आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

13. इस परिपेक्ष्य में यदि हम अभियोजन प्रपत्रों को देखे तो परिलक्षित होता है कि साक्षी पी0 डब्लू–1 के द्वारा दिनांक 08.11.2010 को सम्बन्धित थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी, कि दिनांक 07.11.2010 को साक्षी का भतीजा राजीव कुमार अपनी बहन के यहां मोटरसाईकिल से गया था, वहां से वापस गांव के लिये चला था, परन्तु घर नहीं पहुंचा। तलाश करने पर जंगल ग्राम लॉक में इन्दु के गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली और मोटरसाइकिल मौके पर नहीं मिली।

14. फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 24.11.2010 को अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर जब सम्बन्धित थाना पुलिस जब उसे अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर ले गयी, तब वहां उन्होंने दो व्यक्तियों को मोटरसाइकिल के हिस्से/पुर्जों को प्लास्टिक के बोरो में भरते हुए पाया। उक्त पुर्जों/हिस्सो पर अंकित चैसिस नम्बर मृतक राजीव से लूटी गयी मोटरसाइकिल से मेल खाना बताया गया है, तथा इंजन नम्बर खुरच कर मिटाये

जाना अंकित किया गया है। अभियोजन के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त फरमान ने विवेचक को दिये गये बयान में यह बताया था कि अन्य अभियुक्तगण के अतिरिक्त घटना कारित करते हुए उसके साथ अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो भी शामिल थे।

15. इस प्रकार अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर डकैती डालते हुए दिनांक 07.11.2010 को वादी के भतीजे राजीव की हत्या कर, लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया, तथा उसकी मोटरसाइकिल व अन्य सामान लूट लिया। मृतक से लूटी गयी मोटरसाइकिल के पुर्जे अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर बरामद होना बताया।

अभियोजन साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्षा

16. अभियोजन के उक्त कथानक के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम यदि हम साक्षी पी0 डब्लू–1 द्वारा दी गयी साक्ष्य को देखे, तो साक्षी पी0 डब्लू–1 कुंवरपाल मृतक का चाचा है, तथा उसके द्वारा घटना की सूचना सम्बन्धित थाने पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

17. उक्त साक्षी **पी0 डब्लू–1 वादी कुंवरपाल** के द्वारा, अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "घटना की दिनांक मुझे याद नहीं है। घटना करीब 12 साल पुरानी है। मृतक मेरा भतीजा था। मेरा भतीजा अपनी बहन के घर से अपने घर आ रहा था। वह मोटरसाईकिल से आ रहा था। मेरे भतीजे से रात करीब 9 बजे तक फोन पर बात होती रही। उसके बाद से बात नहीं हुई व मोबाइल नम्बर का भी ध्यान नहीं है। मेरे भतीजे ने बताया था कि मैं फुगाना पहुंच गया हूं। आधा घण्टे बाद मैंने फोन मिलाया तो फोन बन्द था। रिश्तेदारो से जानकारी हुई वहां से यह पता चला कि करीब 7.30 बजे निकल गया है। जैसे ही हम घर से अपने भतीजे की तलाश में निकल कर चले तो रास्ते में ही सड़क के किनारे गांव वालो की मदद से अगले दिन ईंख के खेत में उसकी लाश मिली। लाश शिनाख्त की व पुलिस भी साथ में थी। मोटरसाईकिल मौके पर नहीं मिली थी। मेरे भतीजे राजीव के चेहरे व सिर पर धारदार हथियार की चोट थी। सोने की चैन, मोबाइल आदि उस पर से नहीं मिले थे। अगले दिन मेरे भतीजे की लाश सुबह 11.30 बजे ईख के खेत से मिली थी। तहरीर मैंने स्वयं लिखी थी। तहरीर की शिनाख्त प्रदर्श क–1 के रूप में की गयी।"

18. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी0 डब्लू–1 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, "मेरे भतीजे राजीव की हत्या किसने की थी, मुझे नहीं पता। जब मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, तब भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता कि मेरे भतीजे की हत्या किसने की। मेरे भतीजे की मोटरसाइकिल थाना फुगाना से मिल गयी थी। पुलिस ने मोटरसाईकिल कहा से और किससे बरामद की थी, मुझे नहीं पता। मैंने अपने भतीजे की हत्या करने वाले किसी भी मुल्जिमान को नहीं देखा था और न ही मैंने घटना देखी। मेरे भतीजे की हत्या करने वालो में कौन मुल्जिम थे, मुझे नहीं पता। तहरीर मैंने अज्ञात मुल्जिमान के नाम दी थी, किसी भी मुल्जिमान का नाम तहरीर में नहीं लिखाया था।"

19. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी0 डब्लू–2 के रूप में रवि कुमार** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "आज से करीब 10–12 साल पुरानी घटना है। रक्षाबन्धन का दिन ता, उस दिन हम लोग प्रवीण मेरा जीजा, मेरी बहन दीपा और मैं औरंगाबाद मेरठ से फुगाना वाले रास्ते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में हमारे साथ लूटपाट हो गयी थी। जब हम लोग फुगाना से आगे मोटरसाईकिल पर आ रहे थे रास्ते में कुछ बदमाशो ने चलती मोटरसाईकिल पर हमारे सिर में डन्ड़ा मारा था और हम लोग गिर गये थे। घटना करीब 7–7.30 बजे की है,अंधेरा हो रहा था। मैं बदमाशों की संख्या नहीं गिन पाया था, और न ही उनके चेहरे पहचान पाया था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, हमारी मोटरसाईकिल लूट ली थी, लूट करने वाले बदमाशों को मैं नहीं पहचान पाया था, मृतक राजीव की मृत्यु मेरे सामने नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता कि उसकी हत्या किन बदमाशों ने की थी।"

20. इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू–2 द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि, " मेरा दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि अब से करीब 10–12 साल पहले सांय के 7–7.30 बजे मेरे सामने अभियुक्त फरमान, विजय, जोनी व महबूब व इनके साथियो ने मिलकर राजीव की मोटरसाईकिल लूट कर उसकी हत्या कर दी हो। यह कहना भी गलत है कि उपरोक्त मुल्जिमान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हमारी मोटरसाईकिल व गहने और रूपये लूट लिये हो। यह कहना भी गलत है कि हमारी लूटी गयी वस्तु मुल्जिमानों से बरामद हुई हो।"

21. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू 3** के रूप में **उपनिरीक्षक विनोद कुमार राठी** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि," दिनांक 08.11.2010 को वादी की तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु0अ0सं0 466/2010 अन्तर्गत धारा 302, 201, 404 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा जी0डी0 संख्या 19 समय 12.05 बजे दिनांक 08.11.2010 को किया गया। सत्र परीक्षण संख्या 1040/2011 सरकार बनाम बन्टी निर्णीत पत्रावली में मूल एफ0आई0आर0 व जी0डी0 लगी जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं।"

22. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि,"इस मुकदमे की असल जी0डी0 मेरे सामने नहीं है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि इस मुकदमे की असल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है या नहीं। वादी ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के एस0एच0ओ0 साहब से कोई आदेश नहीं कराये थे। यह बात सही है कि एस0एच0ओ0 साहब के बिना आदेश के ही तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।"

23. अभियोजन की ओर से **पी0 डब्लू–5** के रूप में **उपनिरीक्षक सतपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि,"मैं दिनांक 08.11.2010 को थाना फुगाना पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। दिनांक 08.11.2010 को थानाध्यक्ष के0पी0शर्मा के आदेशानुसार उक्त मुकदमे से सम्बन्धित घटनास्तल पर मैं जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात लेकर आया तथा मृतक राजीव के शव का पंचायतनामा मेरे द्वारा भरा गया। मृतक राजीव के परिजनो ने दौरान पंचायतनामा बताया कि राजीव जनपद लखीमपुर खीरी में कान्सटेबल के पद पर तैनात था। परिजनो व रिश्तेदारो में से पंचान नियुक्त किये गये। राजीव के शरीर पर सफेद रंग की कमीज, सफेद रंग की बाजार की बनियान, नीली रंग की जीन्स व नीरे रंग का कच्छा, पैरो में नीले रंग के मौजे पहने थे। धारीदार अंगोछा व बेल्ट पड़ी थी। मृतक राजीव का रंग गेहुआ तथा कद 5,7, उम्र करीब 30 वर्ष थी। पंचो की राय के अनुसार बदमाशो द्वारा मारी गयी चोटो के कारण मृत्यु हुई है, किन्तु मृत्यु का कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा शव को क्रीम कलर की चादर में रखकर कपड़े सील सर्व मोहर कर पोस्टमार्टम कराने हेतु का0 प्रेमवीर व सुन्दरलाल को भेजा गया। पंचायतनामा पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पंचायतनामा से सम्बन्धित कागजात, फोटो नाश, चिट्ठी सी0एम0ओं0, चिट्ठी

आर0 आई0, चालान नाश, असल रूप पर क्रमशः प्रदर्श क4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाला गया। "

24. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि,"इस मुकदमे का वादी दिनांक 08.11.2010 को लगभग पौने 12 बजे थाना आ गया था। यह भी सही है कि पंचायतनामे भरने तक मुझे किसी मुल्जिमान का नाम नहीं पता था। इसके बाद मेरी इस मुकदमे में कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं रही है। "

25. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी0 डब्लू–9 के रूप में पप्पु** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "मैं पढ़ा लिखा नहीं हू, मेरे साले का नाम प्रवीन है। दिनांक 07.11.2010 को मैं अपने साले के साथ उसकी ससुराल पक्की गढ़ी जा रहा था, हमारे साथ बदमाशो द्वारा लूट की गयी थी। बदमाशो के नाम नहीं जानता न ही उन्हे जानता हूं। सोने के कुन्डल व अन्य सामान लूटा था। लूटने वाले बदमाशो को मैं नहीं जानता। इस घटना के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता।"

26. इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू–9 द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि, " यह कहना सही है कि इस मुकदमे से सम्बन्धित मुल्जिमानों को मैं नहीं जानता हूं। यह कहना भी सही है कि मैंने किसी मुल्जिमान को लूटपाट करते नहीं देखा। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में किसी के दबाव से उपस्थित हुआ हूं। यह कहना भी गलत है कि न्यायालय में उपस्थित होकर आज किसी मुल्जिमान से साज करके न्यायालय में गवाही दे रहा हूं।"

27. इस प्रकार साक्षी पी0 डब्लू–1, साक्षी पी0 डब्लू–3 द्वारा दी गयी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्थापित हो रहा है कि वादी कुंवरपाल द्वारा अपने भतीजे राजीव की हत्या के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर तहरीर दी गयी थी, जिसके अनुक्रम में सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। साक्षी पी0 डब्लू–3 द्वारा दी गई साक्ष्य से यह तथ्य भी स्थापित हो रहा है कि वादी द्वारा दी गई तहरीर पर बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के मुकदमा पंजीकृत किया गया। साक्षी पी0 डब्लू–1, पी0 डब्लू–2 व साक्षी पी0 डब्लू–9 द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्षा से यह परिलक्षित होता है कि साक्षी पी0 डब्लू–1 द्वारा यह साक्ष्य दी गयी है कि करीब 12 वर्ष पूर्व मृतक अपनी मोटरसाईकिल से अपनी बहन के यहां गया था, तथा वहां से उसी दिन वापस चला गया। उक्त

साक्षी की साक्ष्य से यह तथ्य भी स्थापित हो रहा है कि वादी के भतीजे मृतक राजीव कुमार की लाश दिनांक 08.11.2010 को ईख के खेत में मिली थी, तथा मौके पर उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली।

28. अभियोजन के अनुसार साक्षीगण पी0 डब्लू–2 व पी0 डब्लू–9 वह व्यक्ति है, जिनके साथ अभियुक्तगण ने घटना वाले दिन ही घटनास्थल के आसपास वाले स्थान पर पृथक समय पर घटना कारित की थी। अभियोजन ने उक्त साक्षीगण को यह दर्शित करने के लिये परीक्षित कराया है, कि जिस दिन अभियुक्तगण ने मृतक राजीव के साथ घटना की है, उसी दिन, उसी सड़क पर अभियुक्तगण ने प्रवीण नाम के अन्य व्यक्ति के साथ भी घटना कारित की।

29. इस परिपेक्ष में साक्षी पी0 डब्लू–2 व पी0 डब्लू–9 द्वारा दी गई साक्ष्य को देखे तो उक्त दोनो साक्षीगण के द्वारा उनके साथ घटना होना तो स्वीकार किया है, परन्तु ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे यह स्थापित होवे कि ऐसी घटना अभियुक्तगण द्वारा ही उनके साथ कारित की गई है।

30. इस प्रकार अभियोजन ने ऐसे किसी चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है कि जिसने अभियुक्तगण को मृतक राजीव की हत्या करते व डकैती डालकर मोटरसाईकिल व अन्य सामान लूटते हुए देखा हो।

बरामदगी के सम्बन्ध में दी गई साक्ष्य की समीक्षा

31. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर उसके बताये गये स्थान से मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के हिस्से/पुर्जे बरामद किये गये।

32. अब यदि हम बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा करे तो इस सम्बन्ध में साक्षी **पी0 डब्लू–4 उपनिरीक्षक मोहनपाल सिंह** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि "दिनांक 24.11.2010 को मैं थाना फुगाना पर बतौर का0 तैनात था, तथा इस तारीख को थाना फुगाना के थानाध्यक्ष के0 पी0 शर्मा थे, जिनके साथ मैं का0 मोहनपाल सिंह थाना डिडौली के हवालात से गिरफ्तारशुदा फरमान को हम पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर थाना डिडौली के सिपाही को साथ लेकर प्राइवेट जीप से जिसका उल्लेख फर्द बरामदगी में उल्लेखित है, से लेकर व उम्मीद बरामदगी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा जिनके इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर फर्द बरामदगी में उल्लेखित है, की बरामदगी हेतु उपरोक्त अभियुक्त फरमान को थाना से लेकर गये। अभियुक्त फरमान के बताये अनुसार कस्बा मौजपुर होकर जब हम पुलिस वाले मय अभियुक्त रेलवे स्टेशन पीपलसाना के समीप पहुंचे तो आम

के बाग के पास खड़न्जे पर नासिर मिला, तथा फरमान ने आम के बाग के पास जीप रूकवाने को कहा, और अभियुक्त फरमान ने जीप से उतरकर हथकड़ी लगी हालत में हम पुलिस वालो को अपने साथ लेकर कुछ दूर चलकर तसलीम के डेरे के सामने, मस्जिद के पास पहुंचे तो डेरे के बाहर दो काली मोटरसाईकिल के पुर्जे मिले, उनको बोरो में भर रहे थे। उक्त दोनो व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर बोरो व समान को छोड़कर रेलवे लाइन की तरफ भागे। उन दोनो व्यक्तियों को देखकर फरमान ने कहा कि यह अजल व विजन जो मोटरसाईकिल के सामान को हटाने वाले थे। हमने उन भागे हुए व्यक्तियों का पीछा किया, लेकिन वह पकड़े नहीं जा सके। तत्पश्चात अभियुक्त फरमान ने हम पुलिस वालो के आगे–आगे चलकर तसलीम के डेरे के पास रेलवे स्टेशन के पास मोटरसाईकिल के पुर्जो से भरा हुआ सामान, इंजन, फ्रेम तथा बोरो में से निकाल कर सीट, टंकी, शोकर, लाईट आदि सामान निकालते हुए हम पुलिस वालो को बताया कि यह सभी सामान मोटरसाईकिल का है, जो मैंने अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 07.11.2010 की सांय 8.15 बजे के करीब शामली, फुगाना के बीच जो व्यक्ति इस मोटरसाईकिल पर सवार था, उर पर हल्ला बोलकर लूटी थी। यह मोटरसाईकिल मैंने अपने साथी विजन को ले जाकर दे दी थी, तथा बता दिया था कि मोटरसाईकिल को पुर्जो सहित अलग–अलग हिस्सों में काटकर पहचान छिपाकर तसलीम के डेरे में छिपा देना। अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर मोटरसाईकिल के समस्त पुर्जो को कब्जे पुलिस लेकर उन पर इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर अंकित है, उनका उल्लेख फर्द बरामदगी में है, जांच की गयी तो मृतक राजीव की लूटी हुई मोटरसाईकिल से मेल खाते है। इंजन नम्बर खुरच रखा था जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा था। बरामद सामान कब्जे पुलिस लिया गया तथा पुर्जो को बोरे में भरकर चिट–बन्दी की गयी। फर्द बरामदगी को गवाह ने साबित किया जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।"

33. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि,"मैं नहीं बता सकता कि इस मुकदमे में किस मुल्जिमान को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में मैं केवल फरमान का बता सकता हूं, कि उसके क्या सामान बरामद हुआ था और अन्य मुल्जिमानों से क्या सामान बरामद हुआ मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि अभियुक्त फरमान से पूरी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई थी, बल्कि मोटरसाईकिल के पार्टस टुकड़ो में बरामद हुए थे। मैं नहीं बता सकता कि बरामद मोटरसाइकिल

का चैसिस नम्बर किस मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन का था। मैं इस समय नहीं बता सकता कि बरामद मोटरसाइकिल किसके नाम पंजीकृत है व इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है। मोटरसाइकिल के पार्टस के अलावा और कोई चीज मौके से नहीं मिली थी। यह बात सही है कि बरामद मोटरसाईकिल का माल इस समय मेरे सामने नहीं है। मुल्जिम को अपनी कस्टडी में करीब 10 बजे ले लिया था। बरामदगी स्थल पर बरामदगी करीब 11 बजे हुई थी। बरामदगी के लिये जनता का कोई गवाह नहीं मिला था। एक बरामदगी स्थल से फरमान के अलावा और अन्य मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ था।मुझे जानकारी है कि माल हमारे थाने फुगाना पर आ गया था। समय व तारीख मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने गलत मोटरसाईकिल के पार्टस बरामद किये हो तथा उस मोटरसाईकिल के पार्टस न हो जो लूटी गयी थी। चैसिस नम्बर अंकित था। "

34. अभियोजन की ओर से **पी0 डब्लू–6** के रूप में **उपनिरीक्षक के0 पी0 शर्मा** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि,"दिनांक 08.11.2010 को मैं थानाध्यक्ष थाना फुगाना के पद पर तैनात था। इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी। दिनांक 08.11.2010 को नकल चिक, नकल रपट बयान वादी, बयान लेखक एफ0 आई0 आर0 अंकित करके घटनास्थल पर पहुंच कर मृतक के शव का पंचायतनामा अपनी देखरेख में भरवाया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गयी, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। धारा 404 भा0 द0 सं0 के स्थान पर धारा 394 भा0 द0 सं0 की बढ़ोतरी की गयी। दिनांक 10.11.2010 को तलाश मुल्जिमान व मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के कागजात एवं लूटे गये मोबाइल फोन की डिटेल प्राप्त कर सी0 डी0 में अंकित की गयी। दिनांक 16.11.2010 को पंचायतनामा की नकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण बंटी उर्फ एम0 पी0 तथा मोहन उर्फ कोकीन के कब्जे से राजीव की मोटरसाईकिल व लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ जो मृतक की हत्या करके उससे लूटा गया था, तथा राजीव की हत्या में मोटरसाईकिल के अलावा रूपये सहित पर्स भी लूटा गया था। उक्त ब्राउन रंग का पर्स भी जिसमें 241 रूपये मुल्जिमान के पास से बरामद हुए तथा अपराध संख्या 468/2010 की घटना में हीरो होन्डा पर सवार लोगो से लूटे गये रूपये में से 800 रूपये हिस्से में आना बताया। मुल्जिमान से अन्य लोगो द्वारा लूटे गये सामान भी बरामद हुए। मौके पर ही गिरफ्तारी की गयी, गिरफ्तारी प्रपत्र पर प्रदर्श क–9 डाला गया। माल, मुल्जिमान को थाने लाकर दाखिल कर अभियुक्तगण बंटी व मोहन

के बयान अंकित किये गये। मुल्जिमान ने लूट एवं डकैती, हत्या सहित अनेक घटनाओं का इकबाल किया था। दोनो मुल्जिमान की इकबालिया बयान के आधार पर उनकी निशानदेही पर दिनांक 22.11.2010 को ग्राम हबीबपुर के जंगल में गन्ने के खेत से मोटरसाईकिल बरामद की गयी। बरामदगी फर्द मेरे द्वारा मौके पर ही तैयार की गयी, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। मौके पर ही दोनो मुल्जिमान द्वारा मु0अ0सं0 466/2010 में घटनाओं में इस्तेमाल डन्डा बरामद कराया था, जिनकी फर्द बरामदगी मेरे द्वारा तैयार की गयी जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। बयान दिनांक 24.11.2010 को थाना डिडौली, जिला अमरोहा से एस0आई0 नेत्रपाल चौहान द्वारा फोन पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त फरमान को गिरफ्तार किया गया है और थाना फुगाना में अ0सं0 466/2010 से सम्बन्धित घटनाओं का इकबाल कर रहा है, आवश्यक कार्यवाही कर इस सूचना पर मैं उच्चाधिकारियों से बातचीत करता हुआ अभियुक्त का तस्करा व पूछताछ प्राप्त कर अवलोकन किया। फरमान ने बताया कि उसने दिनांक 07.11.2010 को अपने साथी बंटी के साथ बहता पुल के पास थाना व जिला पोन्टा साहिब व मोहन उर्फ कोकीन, तथा जोनी तथा बाल्लो के साथ फुगाना थाना में बुढ़ाना रोड पर दो स्थानो पर लूट की घटना की थी, जिसमे से एक व्यक्ति की हत्या करके मोटरसाईकिल लूटी थी, वह हमने तसलीम के डेरे में पीपलसाना में खड़ी कर दी थी। घटना में मृतक का मोबाइल नोकिया मेरे साथी मोहन के पास तथा दूसरा मृतक राजीव का बाल्लो के पास था। मृतक के पर्स में 1500 रूपये मिले थे, जिनमे से जोनी ने 800 रूपये बंटी को दिये थे, तथा उसका परिचय पत्र रास्ते में फाड़कर फेंक दिया था। मृतक के गले में एक सोने की चैन जोनी ने निकालकर अपने पास रख ली थी। मुल्जिमान की निशानदेही पर कस्बा भोगपुर से रेलवे स्टेशन पीपलसाना के पास पहुचंकर तसलीम उर्फ अबरार के डेरे के सामने जालीदार निर्माणाधीन मस्जिद के पास पहुचंने पर दो व्यक्ति मोटरसाईकिल के हिस्से पुर्जे आदि सामान को प्लास्टिक के बोरे में भर रहे थे जो हमे देखकर भाग खड़े हुए, जिनका नाम फरमान ने संजय उर्फ संजू व विजय बताये। फर्द बरामदगी मौके पर तैयार की गयी।जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। कार्यवाही का विवरण फर्द में अंकित करते हुए बरामदगी स्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी बनाया। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। बरामद मोटरसाईकिल को अपनी सुपुर्दगी में लिया गया तथा उसे रपट संख्या 32 पर दिनांक 24.11.2010 को माल को मालखाने में दाखिल किया गया। अभियुक्त संजय उर्फ संजू को शामली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 06.12.2010 को अभियुक्त बंटी

उर्फ एम0पी0 व मोहन उर्फ कोकीन को गिरफ्तार कर फर्द बरामदगी अंकित की गयी का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। उसी दिन गवाह बरामदगी के बयान अंकित किये गये तथा आला कत्ल डंडा का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। मुल्जिमान बंटी उर्फ एम0पी0 व मोहन उर्फ कोकीन के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया, तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध एन0बी0डब्लू व 82 का प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 05.05.2011 को अभियुक्तगण फरमान उर्फ कल्लू व विजय के विरूद्ध समेकित साक्ष्य के आधार पर चालान द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया, तथा अभियुक्तगण बाल्लो, मेहरून व जोनी दस्तयाब नहीं हुए। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात नवनियुक्त थानाध्यक्ष मेहर सिंह द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। पत्रावली पर अभियुक्त विजय के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र की शिनाख्त प्रदर्श क–17 के रूप में की।"

35. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि," यह सही है कि इस मुकदमे से सम्बन्धित मृतक का0 राजीव की मोटरसाईकिल या उसके कलपुर्जे आज न्यायालय में मौजूद नहीं है। यह सही है कि मृतक राजीव की मोटरासाईकिल के रिलीज होने के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह बात भी सही है कि मुल्जिम विजयनाथ व बाल्लो व जोनी से मेरे द्वारा कोई बरामदगी किसी प्रकार की है और न ही ये मेरे द्वारा गिरफ्तार किये गये। यह बात सही है कि मैंने इस मुकदमे में साक्षीगण प्रवीण पुत्र अमर सिंह व साक्षी पप्पू पुत्र धर्मपाल के बयान अंकित नहीं किये थे। यह बात सही है कि मुल्जिम फरमान से मोटरसाईकिल के कलपुर्जे बरामद करते समय जनता का कोई साक्षी मौजूद नहीं था। वादी से मोटरासाईकिल के पुर्जो की शिनाख्त इसलिये नहीं कराई थी क्योंकि मोटरसाईकिल नम्बरी थी, व चैसिस नम्बर स्पष्ट था। मैंने मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के कागजात की छायाप्रति दौरान विवेचना लिये थे। कागजात की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है, यह कहना गलत है कि मैंने उक्त मोटरसाईकिल के कागजात की छायाप्रति न लिये हो और केस डायरी में फर्जी रूप से इन्द्राज कर दिया हो।"

36. इस प्रकार उक्त दोनो साक्षीगण के साक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि साक्षीगण के अनुसार अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर मृतक राजीव की मोटरसाइकिल के पुर्जे/हिस्से बरामद हुए थे। अब यदि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 के सम्बन्ध में विचार करे तो बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया

गया है कि बरामदगी के सम्बन्ध में जनता के किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया है, केवल पुलिसकर्मियों को ही साक्षी बनाया गया है, जिस कारण से प्रश्नगत बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। पुलिस साक्षीगण के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमोद कुमार बनाम दिल्ली राज्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3344** में यह अवधारित किया गया है कि, मात्र पुलिस के गवाहो के आधार पर ही अभियोजन कथानक को साबित माना जा सकता है, परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि पुलिस के साक्षी विश्वसनीय हो।

37. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण विश्वसनीय है अथवा नहीं, इस बात का निर्धारण करने के लिये यदि हम साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य का विश्लेषण करें तो परिलक्षित होता है कि वादी के द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी ने मात्र यह अंकित किया है कि मृतक अपनी मोटरसाइकिल हीरोहोन्डा पैशन प्रो, जो अभी खरीदी थी, से गया था। मोटरसाइकिल का कोई इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर उक्त तहरीर में अंकित नहीं है। अभियोजन ने साक्ष्य के दौरान भी मृतक राजीव की मोटरसाइकिल का पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्लू–6 के द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया गया है कि "मैंने मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के कागजात की छायाप्रति दौरान विवेचना ली थी। कागजात की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने उक्त मोटरसाइकिल के कागजात की छायाप्रति न ली हो, और केस डायरी में फर्जी रूप से इन्द्राज कर दिया हो।" साक्षी पी0डब्लू–6 के अनुसार अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर मृतक की पूरी मोटरसाइकिल बरामद न होकर मोटरसाइकिल के हिस्से/पुर्जे बरामद हुए थे, जबकि साक्षी पी0डब्लू–1 जो कि घटना का वादी है द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मेरे भतीजे के मोटरसाइकिल थाना फुगाना से मिल गई थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल कहां से और किससे बरामद की थी, मुझे नहीं पता।"

38. इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू–6 मोटरसाईकिल के हिस्से/पुर्जे बरामद होने का कथन किया गया है, जबकि वादी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन कर रहा है कि मोटरसाइकिल को उसे सुपुर्द कर दिया गया था। दौरान विचारण मोटरसाइकिल के हिस्से/पुर्जो को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि मोटरसाइकिल के हिस्से/पुर्जो को किसकी सुपुर्दगी में दिया गया। साक्षी पी0डब्लू–6 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन

किया गया है कि, "यह सही है कि इस मुकदमे से सम्बन्धित मृतक राजीव की मोटरसाईकिल या उसके कलपुर्जे आज न्यायालय में मौजूद नहीं है। यह सही है कि मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के रिलीज होने के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है।" इस प्रकार प्रश्नगत हिस्से/पुर्जे मृतक की मोटरसाइकिल के ही थे, ऐसा भी कोई प्रमाण अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है।

39. साक्षी पी0 डब्लू–6 जो की मामले का मुख्य विवेचक है, कि साक्ष्य में आया है कि बरामद माल को मौके पर सील मोहर कर चिट बन्दी की गई, तथा उसे मालखाने में दाखिल कर दिया गया। बाद में माल को संजीव कुमार व चन्द्रपाल सिंह की सुपुर्दगी में दे दिया गया। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि बरामद करने के उपरान्त बरामदशुदा माल को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि माल को सुपुर्दगी में दिये जाने का न्यायालय का कोई आदेश नहीं है।

40. इस प्रकार अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर बरामद बताये गये माल को बरामदगी के पश्चात न तो किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, और न ही न्यायालय के आदेश से उसे किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया गया है। साक्षी पी0 डब्लू–6 के अनुसार उसने माल को सील मोहर कर मालखाने में दाखिल किया था। तब किन परिस्थितियों में प्रश्नगत माल मालखाने से निकालकर किसी व्यक्ति को सुपुर्द किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। विचारण के दौरान भी प्रश्नगत माल को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तथा अभियोजन जिस व्यक्ति की सुपुर्दगी में प्रश्नगत माल को दिया जाना बताती है, उस व्यक्ति को भी साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। माल से सम्बन्धित कोई सुपुर्दगीनामा भी पत्रावली पर नहीं है। मोटरसाईकिल के पंजीयन प्रमाणपत्र को भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

41. प्रश्नगत बरामदगी के सम्बन्ध में विवेचक के द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 तैयार किया गया। उक्त नक्शा नजरी के परिशीलन से विदित होता है कि बरामदगी स्थल के आसपास अन्य लोगो के डेरा/तम्बु स्थित है। प्रश्नगत बरामदगी दिन के 10 बजे की बताई गयी है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 में भी यह तथ्य अंकित किया गया है कि बरामदगी के समय आसपास के लोग मौजूद थे, जो कि बदमाशों के डर से गवाही के लिये तैयार नहीं हुए। बरामदगी करने वाले पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के नाम–पते नोट किये गये हो, ऐसा कोई प्रमाण भी सामने नहीं आया है।

42. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक मामले में स्वतन्त्र गवाह का होना आवश्यक नहीं है। यह सही है कि आपराधिक विधि शास्त्र का ऐसा कोई नियम नहीं है, कि दोषसिद्धि के लिये प्रत्येक मामले में स्वतन्त्र गवाह का होना आवश्यक हो, परन्तु जहां अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये, तथ्य के साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास हो, साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हों, स्वतन्त्र साक्षीगण की उपलब्धता होने के पश्चात भी ऐसे किसी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित न कराया जाना, अभियोजन कथानक पर संदेह अवश्य पैदा करता है।

43. इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस समय व तिथि की बरामदगी बताई गयी है, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिसकर्मियों की घटनास्थल पर जाने व आने की कोई जी0 डी0 अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी पी0 डब्लू–6 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध में यह कथन किया है कि, "यह कहना सही है कि थाना डिडौली जाने की बाबत कोई भी आमद पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह बात भी सही है कि थाना डिडौली से वापस आने का कोई प्रपत्र भी पत्रावली पर नहीं है।"

44. इस प्रकार बरामदगी के साक्षीगण द्वारा बरामदगी के सम्बन्ध में जो कथन किये जा रहे हैं, उनकी पुष्टि भौतिक व प्रलेखीय साक्ष्य से नहीं हो रही हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत बरामदगी को संदेह से परे स्थापित नहीं माना जा सकता।

45. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं हो रहा है, कि अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर मृतक राजीव की मोटरसाईकिल के हिस्से/पुर्जे बरामद हुए हो।

46. जहां तक अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो का प्रश्न है, तो साक्षी पी0 डब्लू–6 जो कि मामले का मुख्य विवेचक है, के अनुसार इन अभियुक्तो का नाम अभियुक्त फरमान द्वारा विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 के आधार पर प्रकाश में आये हैं। उक्त दोनो अभियुक्तगण से कोई बरामदगी होना नहीं बताया गया है। साक्षी पी0 डब्लू–6 के द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया गया है कि यह बात सही है कि, "मुल्जिम विजयनाथ, बाल्लो व जोनी से मेरे द्वारा कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं की गयी, और न ही वे मेरे द्वारा गिरफ्तार किये गये।"

47. साक्षीगण पी0 डब्लू–7 व पी0 डब्लू–8 जिनके द्वारा मामले की आंशिक विवेचना की गई है, निम्न प्रकार से साक्ष्य दी गई है–

48. अभियोजन की ओर से **पी0 डब्लू–7** के रूप में **सेवानिवृत्त निरीक्षक मेहर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि,"दिनांक 20.09.2011 को मैं थानाध्यक्ष थाना फुगाना के पद पर तैनात था। इस मुकदमे की विवेचा मुझे पूर्व विवेचक के0 पी0 शर्मा के स्थानान्तरण पर प्राप्त हुई। मेरे द्वारा केस डायरी का अवलोकन किया गया तथा मुल्जिमान की तलाश की गयी नहीं मिले। दिनांक 04.11.2010 को वादी कंवरपाल का बयान अंकित किया गया, तथा उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण जोनी, मेहरून के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। मेरा स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात विवेचना उदयपाल सिंह के द्वारा की गयी।"

49. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि," यह बात सही है कि वादी कुंवरपाल ने एफ 0 आई 0 आर 0 अज्ञात में दर्ज करायी थी। प्रभारी विवेचक द्वारा जो वादी का बयान लिया गया था, उसमें किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था। मैंने इस मुकदमे का घटनास्थल नहीं देखा है।

50. अभियोजन की ओर से **पी0 डब्लू–8** के रूप में **सेवानिवृत्त निरीक्षक उदयपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि,"मैं मई 2012 में थानाध्यक्ष थाना फुगाना के पद पर तैनात था। पूर्व विवेचक मेहर सिंह के स्थानान्तरण के पश्चात उक्त मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी। दिनांक 12.10.2012 को एस 0 सी0 डी0 पर्चा संख्या 49 किता किया गया जिसमें माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्त बाल्लो का बयान जिला कारागार सहारनपुर में अंकित किया गया। अभियुक्त बाल्लो के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। बाल्लो के विरूद्ध पूर्व में की गयी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर मेरे द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया।"

51. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि," मैंने इस मुकदमे की विवेचना दिनांक 01.05.2012 को ग्रहण की थी। मैंने इस मुकदमे की घटना स्थल नहीं देखा, मैंने इस मुकदमे में किसी जनता का गवाहान का बयान नहीं लिया। मैंने इस मुकदमे के किसी

मुल्जिम से कोई आला कत्ल बरामद नहीं किया। यह सही है कि मुल्जिम बाल्लो को बी–वारण्ट पर न्यायालय से इस मुकदमे में तलब किया गया था।"

52. इस प्रकार यदि हम अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो की घटना के सम्बन्ध में संलिप्तता के बिन्दु पर विचार करे, तो परिलक्षित होता है कि अभियोजन ने ऐसे किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है, जिसने अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो को मृतक राजीव के साथ घटना कारित करते हुए देखा हो। अतः उक्त दोनो अभियुक्तगण के घटना के संलिप्त होने के सम्बन्ध में कोई सीधी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यदि हम परिस्थितजन्य साक्ष्य पर विचार करे, तो उक्त दोनो अभियुक्तगण से मृतक से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। साक्षी पी0डब्लू–6 जो कि घटना का मुख्य विवेचक है, के कथनो के अनुसार अभियुक्त फरमान ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में यह बताया था कि उसने अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो के साथ मिलकर प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया है। अभियोजन ने ऐसे भी किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है, जिसने घटना वाले दिन के आसपास उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण को अभियुक्त फरमान के साथ देखा हो। ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि यह दर्शित करता हो कि उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण अभियुक्त फरमान के साथ कोई उठना–बैठना अथवा मुलाकात थी। अतः ऐसी परिस्थिति में मात्र अभियुक्त फरमान के कह देने से कि घटना में उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण भी शामिल थे, यह बात संदेह से परे स्थापित नहीं मानी जा सकती, कि उक्त दोनो अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गई हो।

अन्तिम निष्कर्ष

53. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा से यह परिलक्षित होता है कि अभियोजन ने ऐसे किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है, जिसने इस आशय की साक्ष्य दी हो कि उसने अभियुक्तगण को मृतक के साथ घटना कारित करते देखा हो। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 के अनुसार अभियुक्त फरमान ने यह बताया है कि उसके द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक की बलकटी से प्रहार कर हत्या की गई, परन्तु ऐसे किसी धारदार हथियार की बरामदगी अभियुक्तगण के कब्जे से अथवा उनकी निशानदेही पर हुई हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन ने अभियुक्त फरमान की निशानदेही पर बताये गये स्थान से मृतक की मोटरसाईकिल के पुर्जे बरामद होने का कथन किया है, परन्तु प्रश्नगत बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि अभियुक्तगण को

प्रश्नगत घटना से जोड़ते हो। अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो से कोई बरामदगी नहीं हुई है, तथा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है, कि अभियुक्तगण जोनी व बाल्लो का अभियुक्त फरमान से कोई सम्पर्क था, अथवा वह लोग मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस प्रकार घटना के सम्बन्ध में कोई साधी साक्ष्य सामने नहीं आई है, तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की भी ऐसी श्रृंखला पूर्ण नहीं हो रही है, जिससे यह संदेह से परे साबित होवे कि अभियुक्तगण के द्वारा ही अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया हो। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–37/2020, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 466/2010, राज्य बनाम फरमान आदि, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में अभियुक्तगण फरमान व जोनी को धारा 396, 412, 201, 420, 120 बी भा0 द0 सं0 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–50/2013, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 466/2010, राज्य बनाम बाल्लो, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में अभियुक्त बाल्लो को धारा 396, 412, 201, 3120 बी भा0 द0 सं0 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त फरमान जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त जोनी व बाल्लो जिला कारागार में निरूद्ध है, उनका रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

अपील अवधि के लिये अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा**–437 ए दं0 प्र0 सं0** के अनुपालन में मु0 **50,000/–रूपये** का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 50/2013 में रखी जाये।

सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित होवे।

दिनांक– 04.07.2026

(गरिमा सिंह–।)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code–UP06224

निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक–04.07.2026

(गरिमा सिंह–।)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code–UP06224